रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2017/फाल्गुन 4, 1938
No. 536] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2017

का.आ. 599(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित सशर्त नकदी अंतरण स्कीम को उनके स्वास्थ्य और पोषण प्रास्थिति में सुधार लाने के लिए प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम का प्रशासन कर रहा है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर बेहतर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराया जा सके ;

और ऐसी गर्भवती महिलाओं और माताओं को, जिनकी आयु 19 वर्ष या उससे अधिक है और दो जीवित संतान तक, कतिपय स्वास्थ्य और आहार शर्तों को पूरा करने पर दो किस्तों में छह हजार रुपए (6,000 रुपए) का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है ;

और आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराए गए उक्त प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. (1) प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम (एमबीपी) के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यष्टियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम (एमबीपी) के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का महिला और बाल विकास विकास विभाग से फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो वहां राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग के स्थानीय प्राधिकारी यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे या रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे:

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम (एमबीपी) के अधीन ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक या डाकघर फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट; या (vi) चालक अनुज्ञप्ति; या (vii) पेन कार्ड; या (viii) मनरेगा रोजगार कार्ड ; (ix) सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या (xi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगी हो; या (xii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड; या (xiii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज और

(ग) एक ऐसा अभिवचन की वह किसी अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र से कोई प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम के अधीन प्रसूति सुविधा का लाभ नहीं ले रही है।

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेज इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए, प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम (एमबीपी) के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के महिला और बाल विकास विभाग अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:—

(1) स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से व्यष्टिक सूचनाएं प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम (एमबीपी) के भावी फायदाग्राहियों को दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए स्वयं को नामांकित करवाने के

लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही, ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलभ्यता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करें और फायदाग्राही से अनुरोध किया जाए कि वे बाल विकास परियोजना अधिकारी या आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि के पास पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 13-7/2016-एम बी पी]

डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2017

S.O. 599(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering Maternity Benefit Programme (MBP), a Centrally Sponsored, Conditional Cash Transfer Scheme for pregnant women and lactating mothers to improve their health and nutrition status to provide better enabling environment by providing cash incentives to pregnant women and lactating mothers;

And whereas, the pregnant women and lactating mothers who are 19 years or above and up to two live births, are provided cash incentive of Rupees Six Thousand (Rs. 6,000/-) in two instalments upon fulfilling certain health and nutritional conditions;

And whereas, the said Maternity Benefit Programme offered at Anganwadi Centres involves recurring expenditure from the consolidated fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individuals desirous of availing the benefits under MBP are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under MBP, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to make application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www..uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department of the States/Union Territory Administrations which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations may provide

enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, benefits under the Maternity Benefit Programme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if she has enrolled her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub- paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) (i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kishan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (viii) MGNREGS job Card; or (ix) Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking; or (x) Any other Photo Identity Card issued by State Governments or Union Territory Administrations; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letterhead; or (xii) Health Card issued by Primary Health Centre (PHC) or Government Hospital; or (xiii) any other document specified by the State Government or Union Territory Administration; and

(c) an undertaking that she is not availing maternity benefits under Maternity Benefit Programme from any other Anganwadi Centre:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Women and Child Development Department of the States/Union Territory Administrations in charge of implementing the Maternity Benefit Programme, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through local media and individual notices through the offices of Child Development Project Officers, Supervisors, Anganwadi Centres shall be given to the prospective beneficiaries of Maternity Benefit Programme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Blocks or Talukas or Tehsils, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Child Development Project Office or Anganwadi Centre, etc.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 13-7/2016-MBP]

Dr. RAJESH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.23 20:26:14 +05'30'